[2020] 4 एस.सी.आर. 459

रीपक कंसल

बनाम

महासचिव, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य।

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 541 2020)

जुलाई 06, 2020

[अरुण मिश्रा और एस. अब्दुल नज़ीर, जे.जे.]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 32 - याचिकाकर्ता, एक वकील, ने सुप्रीम कोर्ट और भारत संघ की रजिस्ट्री के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ कोविड-19 की महामारी के दौरान एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उत्तरदाताओं को दायर किए गए मामलों को प्राथमिकता न देने का निर्देश देने की मांग की गई। प्रभावशाली वकील/याचिकाकर्ता, कानून फर्म आदि - सामान्य वकीलों/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मामलों के साथ समान व्यवहार करने और अनावश्यक दोषों को इंगित न करने, अतिरिक्त अदालत शुल्क और अन्य शुल्क वापस करने और बिना आदेश या निर्देश के मामलों को टैग न करने के निर्देश भी मांगे गए थे। अन्य मामलों के साथ न्यायालय का - माना गया: दायर की गई याचिका को कायम रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है - याचिकाकर्ता ने महासचिव, रजिस्ट्री के विभिन्न रजिस्ट्रार और अधिकारियों, एससीबीए और भारत संघ को पक्षकार बनाया है - इसके विपरीत, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही रिट दायर की गई है - उन्हें महासचिव के माध्यम से रिट आवेदन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पक्षकार बनाना चाहिए था - यह चूक याचिकाकर्ता के लापरवाह आचरण को इंगित करती है - याचिका अनुचित जल्दबाजी में दायर की गई थी - सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेता है कि बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं दायर जो दोषपूर्ण हैं; फिर भी, उन्हें सूचीबद्ध करने का आग्रह किया जाता है और उल्लेख किया जाता है कि उन्हें तत्काल सूचीबद्ध किया जाना चाहिए - यह बड़ी संख्या में मामलों में होता है और मामलों से निपटने वाले सहायकों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है - यह उनसे पूर्णता की उम्मीद करने के लिए बहुत अधिक है, खासकर जब वे महामारी के दौरान भी अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहे हैं - कर्मचारी महामारी के कारण अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे के बावजूद काम कर रहे हैं और कई कामकाजी कर्मचारियों के साथ-साथ

अधिकारियों को भी कोविड-19 के कारण परेशानी हुई है - सामान्य तौर पर, यह एक व्यापक अभ्यास बन गया है बिना किसी अच्छे कारण के रजिस्ट्री को दोष देना - गलती करना मानवीय है, क्योंकि कई याचिकाएँ दोषों के साथ दायर की जाती हैं और दोष वर्षों तक ठीक नहीं होते हैं - ऐसी स्थिति में जब महामारी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के खिलाफ आधारहीन और लापरवाह आरोप लगाए जाते हैं , जो न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग है - याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है - इस प्रकार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

अधिवक्ता - अधिवक्ताओं से अपेक्षाएं और रजिस्ट्री की भूमिका - माना गया: कुलीन बिरादरी के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे पहले खुद का सम्मान करें - वे समाज के एक बौद्धिक वर्ग हैं - जो दूसरों के लिए उचित हो सकता है वह अभी भी उनके लिए अनुचित हो सकता है, उनसे अपेक्षाएं हैं पूरे समाज के लिए अनुकरणीय बनें, तभी महान पेशे और न्यायिक की गरिमा की रक्षा की जा सकती है - रजिस्ट्री सर्वोच्च न्यायालय की एक शाखा और उसकी गरिमा के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है - बार समान रूप से सम्मानित और अभिन्न प्रणाली का जिम्मेदार हिस्सा है, रजिस्ट्री हिस्सा है और सिस्टम के पार्सल और सिस्टम को मिलकर और परस्पर सम्मान के साथ काम करना होगा।

कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए

माना गया: 1. दायर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता ने अपने रिट आवेदन में महासचिव, विभिन्न रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री, एससीबीए और भारत संघ के अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। इसके विपरीत, इस न्यायालय के विरुद्ध ही रिट दायर की जाती है। उन्हें महासचिव के माध्यम से रिट आवेदन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पक्षकार बनाना चाहिए था। यह चूक याचिकाकर्ता के लापरवाह आचरण को इंगित करती है। याचिका अनावश्यक जल्दबाजी में दायर की गई थी। [पैरा 16]

2. यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेता है कि बड़ी संख्या में याचिकाएँ दायर की गई हैं जो दोषपूर्ण हैं; फिर भी, उन्हें सूचीबद्ध करने का आग्रह किया जाता है और उल्लेख किया जाता है कि उन्हें तत्काल सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यह बड़ी संख्या में मामलों में होता है, और मामलों से निपटने वाले सहायकों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। जब दोषों वाली याचिकाएं दायर की जाती हैं तो यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि उन्हें तुरंत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गलती करना मानवीय है और डीलिंग असिस्टेंट की

ओर से भी गलती हो सकती है। उनसे पूर्णता की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है, खासकर जब वे महामारी के दौरान भी अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहे हों। मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि खामियों को देखते हुए मामलों को सूचीबद्ध करने में अत्यधिक देरी हुई। कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान काम किया, मामलों को स्कैन किया गया और रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध किया गया। इस न्यायालय के कर्मचारी महामारी के कारण अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे के बावजूद काम कर रहे हैं, और कई डीलिंग स्टाफ के साथ-साथ अधिकारियों को भी कोविड-19 के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे कठिन समय के दौरान, याचिकाकर्ता, जो इस न्यायालय का एक अधिकारी है, से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह महामारी और लॉकडाउन अवधि के दौरान भी उनके द्वारा किए गए कार्य को मान्यता देने के बजाय इस न्यायालय की रजिस्ट्री को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी याचिका दायर करेगा। [पैरा 17]

3. सामान्य तौर पर, बिना किसी अच्छे कारण के रजिस्ट्री को दोषी ठहराना एक व्यापक चलन बन गया है। गलती करना मानवीय है, क्योंकि दोषों के साथ कई याचिकाएँ दायर की जाती हैं, और दोष वर्षों तक ठीक नहीं होते हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में ऐसे मामले अदालत के समक्ष दोषों को दूर करने के लिए सूचीबद्ध किए गए थे जो वर्षों से लंबित थे। ऐसी स्थिति में, जब महामारी चल रही है, इस न्यायालय की रजिस्ट्री, जो न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग है, के खिलाफ निराधार और लापरवाह आरोप लगाए जा रहे हैं। यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेता है कि इस तरह की बुराई विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी फैल रही है, और बिना किसी अच्छे कारण के अनावश्यक रूप से रजिस्ट्री को दोषी ठहराया जाता है। योग्य वकीलों को यह याद रखना चाहिए कि वे न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं; वे न्यायालय के अधिकारी हैं और समाज में एक अलग वर्ग के हैं। [पैरा18]

4. यह न्यायालय कुलीन बिरादरी के सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे पहले अपना सम्मान करें। वे समाज का एक बौद्धिक वर्ग हैं। जो दूसरों के लिए उचित हो सकता है वह उनके लिए अनुचित भी हो सकता है, उनसे अपेक्षा यह है कि वे पूरे समाज के लिए अनुकरणीय हों, तभी महान पेशे और न्याय व्यवस्था की गरिमा की रक्षा की जा सकती है। रजिस्ट्री इस न्यायालय की एक शाखा और इसकी गरिमा के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। बार समान रूप से सम्मानित और अभिन्न प्रणाली का जिम्मेदार हिस्सा है, रजिस्ट्री सिस्टम का हिस्सा और पार्सल है, और सिस्टम को मिलकर और परस्पर सम्मान के साथ

काम करना होगा। रजिस्ट्री से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य करे। साथ ही, वकीलों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे दोषों को प्रभावी ढंग से दूर करें और सिस्टम पर अनावश्यक रूप से आक्षेप न लगाएं। [पैरा 20]

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 541, 2020।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

तुषार मेहता, एसजी, पीयूष बेरीवाल, कनु अग्रवाल, अरविंद कु. शर्मा और बी.वी. बलराम दास, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरुण मिश्रा, जे.

1. याचिकाकर्ता, जो इस न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला एक वकील है, ने इस न्यायालय और भारत संघ की रजिस्ट्री के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की है। एक उचित रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई है। परमादेश की प्रकृति में आदेश या निर्देश, जो उत्तरदाताओं को प्रभावशाली वकीलों/याचिकाकर्ताओं, कानूनी फर्मों आदि द्वारा दायर मामलों को प्राथमिकता न देने का निर्देश देता है। उत्तरदाताओं को सामान्य वकीलों/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मामलों के साथ समान व्यवहार करने और अनावश्यक दोषों को इंगित न करने, अतिरिक्त अदालत शुल्क और अन्य शुल्क वापस करने और अदालत के आदेश या निर्देश के बिना मामलों को अन्य मामलों के साथ टैग न करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। इस न्यायालय के महासचिव को लिस्टिंग, क्लियरिंग और बेंच हंटिंग में शामिल होने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है।
2. याचिका में कहा गया है कि आम वकीलों/वादकारियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। वे कुछ कानूनी फर्मों या अधिवक्ताओं का पक्ष उन कारणों से लेते हैं जो उन्हें सबसे अच्छी तरह ज्ञात हैं।
3. याचिकाकर्ता का पहला उदाहरण यह है कि 2020 की एक रिट याचिका (सिविल) D.No.10951 उनके द्वारा 16.4.2020 को दायर की गई थी। रजिस्ट्री ने तीन

खामियां बताईं, यानी (1) 530 रुपये की कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किया गया, (2) दस्तावेजों को सूचकांक के अनुसार रखा जाना था, और (3) सूचकांक में दिए गए विवरण अधूरे थे और अनुलग्नक दाखिल नहीं किए गए थे, मामले की दोबारा जांच की जाएगी। .याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.4.2020 को ईमेल के माध्यम से स्पष्ट किया था कि उसने 730/- रुपये की अदालती फीस का भुगतान किया था और याचिका के साथ कोई अनुबंध नहीं था। हालांकि, याचिकाकर्ता को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए अधिक अदालती फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। तात्कालिकता पत्र के बावजूद, रजिस्ट्री रिट याचिका को पंजीकृत करने और सूचीबद्ध करने में विफल रही। याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव से रिट याचिका को सूचीबद्ध न करने के बारे में अनुरोध किया। 27.4.2020 को रिट याचिका न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी।

4. याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया दूसरा उदाहरण यह है कि 2020 की एक रिट याचिका (सिविल) D.No.11236 12.5.2020 को दायर की गई थी, जिसे आज तक रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उन्हें सूचित किया गया कि रिट याचिका में कुछ खामियां थीं, लेकिन रिट याचिका की एक प्रति गायब थी। उसके बाद, रजिस्ट्री द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया।

5. दिया गया तीसरा उदाहरण याचिकाकर्ता द्वारा 20.05.2020 को दायर की गई रिट याचिका (सिविल) संख्या 522 ऑफ़ 2020 (डायरी नंबर 11552 ऑफ़ 2020) के बारे में है। डीलिंग असिस्टेंट ने 26.5.2020 को दोष बताए। दाखिल करने के छह दिनों के बाद डीलिंग असिस्टेंट द्वारा कमियों को इंगित किया गया था, हालांकि याचिका में तत्कालता के लिए आवेदन दायर किया गया था। निम्नलिखित नोट रजिस्ट्री द्वारा बनाया गया था:

> "मामले को संपूर्ण सूचकांक रिक्त, याचिका, शपथ पत्र, वकालतनामा, उपस्थिति का ज्ञापन और आवेदन सभी हस्ताक्षरित और घाटे वाले कोर्ट शुल्क आदि के रूप में दोबारा जांचने की जरूरत है।"

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि हस्ताक्षरित दस्तावेज पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। मामला अत्यावश्यक था और उन्होंने 26.5.2020 को हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ उन्हें फिर से अपलोड किया था। डीलिंग असिस्टेंट द्वारा 29.5.2020 को निम्नलिखित आशय से फिर से कमियाँ बताई गईं:

"आवेदन सूचकांक के साथ शीर्षक के रूप में उचित नहीं है और आवेदन के विषय और प्रार्थना के बारे में विशिष्ट होना चाहिए।"

याचिकाकर्ता ने 29.5.2020 को दोष ठीक कर लिया। इसके बाद डीलिंग असिस्टेंट ने मामले की दोबारा जांच नहीं की. 2.6.2020 को, याचिकाकर्ता ने फोन किया और संबंधित शाखा अधिकारी से मामले की दोबारा जांच करने के लिए डीलिंग असिस्टेंट को निर्देश देने का अनुरोध किया। 2.6.2020 को मामले की दोबारा जांच की गई और इसे 2020 की डायरी नंबर 11552 के रूप में क्रमांकित किया गया। मामले को 6.6.2020 को सत्यापित किया गया और 6.7.2020 (कंप्यूटर जनित) के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिससे मामला निरर्थक हो जाएगा। अत्यावश्यकता के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि मामला 6.7.2020 को सूचीबद्ध होने की संभावना है। उन्होंने तात्कालिकता के बारे में एक ईमेल भेजा। तत्काल आवेदन के बावजूद रजिस्ट्री 2020 की डायरी नंबर 11552 को सूचीबद्ध करने को तैयार नहीं थी। इसलिए, रिट याचिका दायर की गई है।

6. यह बताया गया है कि 23.4.2020 को डब्ल्यू.पी. 2020 की डायरी नंबर 11006 जिसका शीर्षक अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम यूओआई है, रात 8.07 बजे दायर की गई थी। अनुलग्नक के बिना. रजिस्ट्री ने किसी भी दोष को इंगित नहीं करने का निर्णय लिया था, और उसी दिन एक विशेष अनुपूरक सूची अपलोड कर दी गई थी। श्रेणी रीपक कंसल बनाम महासचिव, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। [अरुण मिश्रा, जे.] को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सुनवाई के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। लॉकडाउन के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री द्वारा किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्री की अवैध गतिविधियों के खिलाफ महासचिव से शिकायत की लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

7. हमने याचिकाकर्ता को सुना है। वर्तमान रिट याचिका प्रारंभ में 18.6.2020 के लिए सूचीबद्ध की गई थी, हालाँकि 17.6.2020 को; याचिकाकर्ता द्वारा एक पत्र प्रसारित किया गया था कि उसकी धारणा थी कि रजिस्ट्री याचिकाकर्ता को प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने के लिए रजिस्ट्रार के साथ बातचीत करने के लिए बुलाएगी। फिर भी, याचिकाकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया कि रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ता को छूट दे दी है, और रजिस्ट्रार के साथ बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता पूर्व व्यवस्था के कारण दिल्ली से बाहर था

और मामले पर बहस करने के लिए रिट याचिका की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी नहीं लाया था। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक/साक्ष्य दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय देने की भी प्रार्थना की, यानी, रिट की डी-टैगिंग के संबंध में शिकायत/अनुस्मारक, मामलों की जांच और पुन: जांच में देरी, आवेदन, और डी-टैगिंग के संबंध में आरटीआई के तहत जवाब, अतिरिक्त अदालत शुल्क का प्रमाण, आदि। इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें साबित करने के लिए। मामले को स्थगित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया और मामले को 19.6.2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। उन्होंने मामलों को तुरंत सूचीबद्ध न करने की रजिस्ट्री द्वारा बरते जा रहे भेदभाव के बारे में तथ्य दोहराए।

8. हमने मुकदमों की फाइलों का भी अवलोकन किया है. रिट याचिका (सी)डी. 2020 का नंबर 10951 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 17.4.2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की प्रार्थना के साथ दायर किया गया था। इस पर 27.4.2020 को सुनवाई हुई और निर्णय लिया गया। भारत संघ को यह जांचने का निर्देश दिया गया था कि क्या इस स्तर पर योजना को लागू करना उसके लिए संभव है या नहीं और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उचित निर्णय लें। तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
9. यद्यपि दोषों को नोट किया गया था, 2020 की रिट याचिका (सी) डायरी संख्या 10951 को सूचीबद्ध किया गया, सुना गया और अंततः 27.4.2020 को निर्णय लिया गया। यह 17.4.2020 को दायर किया गया था। 18 और 19 अप्रैल 2020 को छुट्टियां थीं. केवल पाँच कार्य दिवस थे, और देशव्यापी तालाबंदी के दौरान, अदालत में कामकाज न्यूनतम था। मामले को 26.4.2020 की वाद सूची में 27.4.2020 को सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित मामले को सूचीबद्ध करने में रजिस्ट्री के अधिकारियों द्वारा बहुत कम देरी की गई थी।
10. दूसरे उदाहरण के संबंध में, यानी, 2020 की डायरी नंबर 11236, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा 9.5.2020 को दायर किया गया था, रजिस्ट्री ने 14.5.2020 को कई दोषों को नोट किया है। याचिका अभी भी खामियों के साथ पड़ी हुई है।
11. तीसरे उदाहरण के संबंध में, यानी 2020 की रिट याचिका संख्या 522 (2020 की डी. संख्या 11552), यह 20.5.2020 को दायर की गई थी। फिर से, 26.5.2020 को

रजिस्ट्री द्वारा दोषपूर्ण याचिका और दोषों को इंगित किया गया कि पूरा सूचकांक खाली था। याचिका, शपथ पत्र, वकालतनामा, उपस्थिति ज्ञापन, और आवेदन सभी अदालत शुल्क की कमी आदि के साथ अहस्ताक्षरित थे। याचिकाकर्ता ने दोषों को हटा दिया। हालाँकि, अन्य दोष भी थे, जैसे कि दायर किया गया आवेदन उचित नहीं था क्योंकि शीर्षक सूचकांक के साथ मेल नहीं खाता था, और विशिष्ट विषयों और प्रार्थनाओं का उल्लेख नहीं किया गया था। दोषों को फिर से ठीक किया गया और याचिका 3.6.2020 को फिर से दायर की गई। मामले पर कार्रवाई की गई और 9.6.2020 को सूचीबद्ध किया गया और 12.6.2020 को सुनवाई की गई और खारिज कर दिया गया क्योंकि इसी तरह के मुद्दों पर अन्य मामले लंबित थे, इसलिए मामले को आवश्यक नहीं माना गया था। याचिकाकर्ता ने 12.6.2020 के लिए मामले की लिस्टिंग और उसके फैसले के बारे में खुलासा नहीं किया है और कहा है कि कंप्यूटर-जनरेटेड तारीख 6.7.2020 थी। रजिस्ट्री ने कंप्यूटर जनित तारीख का पालन नहीं किया और मामला 12.6.2020 के लिए सूचीबद्ध किया गया जिस पर इसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता स्वयं दोषों को दूर करने में 12-13 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार था।

12. जहां तक अर्नब गोस्वामी का मामला है, इसे सक्षम प्राधिकारी के आदेश के मद्देनजर तत्काल सूचीबद्ध किया गया था। यह मीडिया की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से संबंधित था।

13. उपरोक्त परिस्थितियों में, कोविड-19 के कारण चल रही महामारी को देखते हुए, इस न्यायालय की रजिस्ट्री कम ताकत के साथ काम कर रही है, और ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के कारण, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए भेदभाव का आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं था। -उसके प्रति और किसी विशेष व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए। याचिकाकर्ता द्वारा दायर तीनों मामलों में खामियां थीं।

14. याचिकाकर्ता ने यह रिट आवेदन जल्दबाजी में दाखिल किया है. जब इसे सूचीबद्ध किया गया, तो उन्होंने इस आशय का एक पत्र प्रसारित किया कि, प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उनकी फिटनेस का पता लगाने के लिए बातचीत के लिए बुलाया जाएगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से किसी मामले पर बहस कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि वह इस न्यायालय का वकील है और इस न्यायालय में मामले पर बहस करता है। इस प्रकार, उसकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उसे बुलाना आवश्यक नहीं था कि

क्या वह मामले पर बहस कर सकता है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। इस तरह का पत्र प्रसारित करना उनके रुख के अनुरूप नहीं था और इसलिए उन्होंने अपनी बहस करने की क्षमता पर संदेह किया। इस प्रकार की आशंका मन में रखने का कोई औचित्य नहीं था। उन्हें पूरी तरह से अनुचित स्थगन की मांग करने वाला ऐसा पत्र प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनके द्वारा प्रसारित पत्र में आगे कहा गया था कि वह साक्ष्य एकत्र करना और उसे दाखिल करना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने छह सप्ताह का समय मांगा है। आचरण से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता आरोप लगाते समय लापरवाह था और गंभीर नहीं था। उन्होंने उचित जांच के बिना, और अपेक्षित सामग्री एकत्र किए बिना रिट आवेदन दायर किया। इस अदालत के एक अधिकारी से इस तरह के आचरण की उम्मीद कम ही थी। याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री और इस अदालत के कर्मचारियों पर अनावश्यक लांछन लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए था।

15. दायर की गई याचिका को सुनवाई योग्य नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपने रिट आवेदन में महासचिव, विभिन्न रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री, एससीबीए और भारत संघ के अधिकारियों को शामिल किया है। इसके विपरीत, इस न्यायालय के खिलाफ ही रिट दायर की गई है। उन्हें महासचिव के माध्यम से रिट आवेदन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष रखना चाहिए था। यह चूक याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाह आचरण को इंगित करती है। याचिका अनावश्यक जल्दबाजी में दायर की गई थी।

16. हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि बड़ी संख्या में याचिकाएँ दायर की गई हैं जो दोषपूर्ण हैं; फिर भी, उन्हें सूचीबद्ध करने का आग्रह किया जाता है और उल्लेख किया जाता है कि उन्हें तत्काल सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यह बड़ी संख्या में मामलों में होता है, और मामलों से निपटने वाले सहायकों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। हम पाते हैं कि गलतियों/लापरवाही के कारण जब दोष वाली याचिकाएँ दायर की जाती हैं, तो यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि उन्हें तुरंत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गलती करना मानवीय है और डीलिंग असिस्टेंट की ओर से भी गलती हो सकती है। उनसे पूर्णता की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है, खासकर तब जब वे महामारी के दौरान भी अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहे हों। मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है. यह नहीं कहा जा सकता कि खामियों को देखते हुए मामलों को सूचीबद्ध करने में अत्यधिक देरी हुई। कोर्ट ने लॉकडाउन के

दौरान काम किया, मामलों को रजिस्ट्री द्वारा स्कैन और सूचीबद्ध किया गया। इस न्यायालय के कर्मचारी महामारी के कारण अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में होने के बावजूद काम कर रहे हैं, और कई डीलिंग स्टाफ के साथ-साथ अधिकारियों को भी कोविड-19 के कारण परेशानी हुई है। ऐसे कठिन समय के दौरान, याचिकाकर्ता से यह उम्मीद नहीं की गई थी इस न्यायालय के एक अधिकारी ने महामारी और लॉकडाउन अवधि के दौरान भी उनके द्वारा किए गए कार्य को मान्यता देने के बजाय इस न्यायालय की रजिस्ट्री को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी याचिका दायर की है।

17. हम देखते हैं, सामान्य तौर पर, बिना किसी अच्छे कारण के रजिस्ट्री को दोषी ठहराना एक व्यापक प्रथा बन गई है। गलती करना मानवीय है, क्योंकि कई याचिकाएँ दोषों के साथ दायर की जाती हैं, और दोष वर्षों तक ठीक नहीं होते हैं। वर्षों से लंबित दोषों को दूर करने के लिए हाल ही में बड़ी संख्या में ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किए गए थे। ऐसी स्थिति में, जब महामारी चल रही है, इस न्यायालय की रजिस्ट्री के खिलाफ निराधार और लापरवाह आरोप लगाए जा रहे हैं, जो न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग है। हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि ऐसी बुराई विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी फैल रही है, और बिना किसी अच्छे कारण के अनावश्यक रूप से रजिस्ट्री को दोषी ठहराया जाता है। योग्य वकीलों को यह याद रखना चाहिए कि वे न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं; वे न्यायालय के अधिकारी हैं और समाज में एक अलग वर्ग के हैं। आर. मुथुकृष्णन में महान पेशे के सदस्यों के अनुकरणीय व्यवहार के संबंध में। मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 612 में न्यायालय ने सज्जन वकीलों से अपेक्षा के संबंध में इस प्रकार टिप्पणी की:

> "23. न्याय प्रदान करने की प्रणाली में वकील की भूमिका अपरिहार्य है। वह पेशेवर नैतिकता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाध्य है। उसका कर्तव्य अदालत के प्रति अपने मुवक्किल के प्रति, विपरीत पक्ष के प्रति और विपरीत पक्ष के वकील का भी सम्मान बनाए रखना है। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह करना उसके लिए अनुचित भी हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक सम्मानित बौद्धिक वर्ग और महान पेशे का सदस्य है, उससे अपेक्षाएँ अधिक होती हैं। अधिवक्ताओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली में बहुत विश्वास रखते हैं और उनके साथ व्यवहार करने वाला पहला व्यक्ति एक

वकील होता है। वादकारी एक वकील में विश्वास जताते हैं और उनके साथ विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करते हैं। वकील द्वारा पूछे जाने पर वे अपने हस्ताक्षर करते हैं। अनाधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि उसके हित को बेदाग न्याय मिले।

24. महान पेशे के उच्च मूल्यों को सभी संबंधित पक्षों द्वारा हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों में जीवित रहने की लड़ाई में युवाओं द्वारा भी जानकारीपूर्ण वर्षों को नहीं भुलाया जा सकता है। कानूनी पेशे की श्रेष्ठता के लिए एक वकील को यह याद रखने की आवश्यकता होती है कि वह किसी भी मामले से अतिरंजित नहीं है क्योंकि वकील कोई मामला जीतता या हारता नहीं है, न्याय का असली प्राप्तकर्ता पर्दे के पीछे होता है, जो अंत में न्याय प्राप्त करता है। वस्तुतः, हम किसी वादी को उसकी पहचान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देते अधिकार। एक मुकदमेबाज को एक वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से सलाह दिए जाने का अधिकार है। अधिवक्ताओं को पैसा खाने वाला या एम्बुलेंस का पीछा करने वाला नहीं माना जाता है। एक वकील को न्यायाधीश से किसी भी तरह के अनुग्रह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। तथ्यों और कानून पर महारत हासिल करना और उन्हें सटीक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य न्यायालयों का समय बर्बाद करना नहीं है।

25. अलेक्जेंडर कॉकबर्न द्वारा कहा गया है कि "वकील का हथियार एक सैनिक की तलवार है, न कि हत्यारे का खंजर"। वकीलों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे किसी न्यायाधीश से किसी भी तरह के अनुग्रह की उम्मीद न करें। उसे मिसालों पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें ध्यान से पढना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और मिलीभगत से बचना चाहिए, झूठी दलीलें नहीं देनी चाहिए और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए। किसी पेशे में, जीवित रहने के संघर्ष में भी सब कुछ उचित नहीं कहा जा सकता। सैद्धान्तिक मानक समझौता योग्य नहीं है। ईमानदारी, समर्पण और कड़ी मेहनत ही पूर्णता की ओर जाने का एकमात्र स्रोत है। एक अधिवक्ता का आचरण अनुकरणीय माना जाता है। यदि कोई वकील न्यायाधीशों या अपने

सहयोगियों की बदनामी करता है या खुद को कदाचार में शामिल करता है, तो यह सबसे भयावह और हानिकारक कार्य है जो संपूर्ण कानूनी प्रणाली के लिए किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही मुर्दा है और काट दिये जाने योग्य है।

एक्स एक्स एक्स

40. बार काउंसिल के पास वकीलों को अनुशासित करने और पेशे की श्रेष्ठता बनाए रखने की शक्ति है और वह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी लगाती है। न्यायालय के पास अवमानना की शक्ति है और वह घातक शक्ति भी अधिक जिम्मेदारी के साथ आती है। अवमानना ब्रह्मास्त्र की तरह एक हथियार है जिसका प्रभावी बने रहने के लिए संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, एक न्यायाधीश को न्यायालय की गरिमा की रक्षा करनी होती है और अवमानना में कार्रवाई करनी होती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुकरणीय दंड भी देना होता है। एक वकील को पेशेवर नैतिकता, पेशेवर शिष्टाचार और पेशेवर लोकाचार द्वारा शासित होना चाहिए जो आचरण का एक अभ्यस्त तरीका है। उसे अपना कार्य शान, गरिमा और शालीनता के साथ करना होगा। उसे हर समय खुद को सहन करना होगा और न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में खुद का निरीक्षण करना होगा। वह समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और सज्जन व्यक्ति हैं। उसे ईमानदारी के साथ आगे बढना होगा और कठोर शब्दों की चप्पू के साथ आगे बढना होगा, तभी उसकी नाव किनारे तक पहुंच ही जाएगी। उसे ईमानदार, साहसी, वाक्पटु, मेहनती, बुद्धिमान और निर्णय लेने वाला होना चाहिए।

76. आत्मावलोकन नितांत आवश्यक है और दोषारोपण तथा बदनामी तुरंत बंद होनी चाहिए। आत्मविश्वास और श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही एकमात्र रास्ता है। यह आशा की जाती है कि बार काउंसिल अपनी अनुशासनात्मक समितियों के कार्य में सुधार करेगी ताकि प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके, विभिन्न बार काउंसिलों के अनुशासनात्मक पक्ष पर प्रदर्शन ऑडिट प्रकाशित किया जा सके। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत हमेशा की तरह अच्छे विचारों को लागू कर सकती है और सफाई प्रक्रिया में पीछे नहीं रहेगी। यह पेशे को और अधिक महान बनाना है और इसे संरक्षित करने के लिए पेशे से काली भेड़ों को हटाना नितांत आवश्यक है। बार के समृद्ध आदर्श और जिन पर इसने स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए संघर्ष किया। मूलतः बार को नियंत्रित

करना न्यायालय का काम नहीं है। यह बार का वैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे और अधिक महान बनाए और साथ ही न्यायाधीशों और कानूनी प्रणाली की रक्षा करे, न कि बार को निष्क्रियता से और उस प्रणाली को नष्ट कर दे जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है।"

19. *कामिनी जयसवाल बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 1 एससीसी में*

156, यह देखा गया:

"**24**..... *चरण लाल साहू बनाम भारत संघ1 में*, इस न्यायालय ने देखा है कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर एक याचिका में अधिवक्ताओं, सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही एक अधिवक्ता द्वारा शामिल अन्य संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया है। लापरवाह तरीके से, अर्थहीन और विरोधाभासी दलीलों, अनाड़ी आरोपों, अवमानना को निकालने का आदेश दिया गया था। रजिस्ट्री को भविष्य में याचिकाकर्ता की किसी भी जनहित याचिका पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया गया।

25. *आर.के. में आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय2* इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनमें किसी अपराधी का आचरण और कार्य पेशेवर कदाचार था। अदालती कार्यवाही की शुचिता बनाये रखनी होगी। न्यायालय के पास न केवल अधिकार है बल्कि स्वयं की रक्षा करने का दायित्व भी है और वह अपराधी को उचित अवधि के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोक सकता है। एक वकील पर इस न्यायालय की गरिमा की रक्षा करने का कर्तव्य है, न कि उसी संस्थान को बदनाम करने का, जैसा कि उक्त निर्णय में देखा गया है।"

20. हम कुलीन बिरादरी के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे पहले अपना सम्मान करें। वे समाज का एक बौद्धिक वर्ग हैं। दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है वह उनके लिए अनुचित भी हो सकता है, उनसे अपेक्षा यह है कि वे पूरे समाज के लिए अनुकरणीय हों, तभी महान पेशे और न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा की जा सकती है। रजिस्ट्री इस न्यायालय की एक शाखा और इसकी गरिमा के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। बार अभिन्न प्रणाली का समान रूप से सम्मानित और जिम्मेदार हिस्सा है, रजिस्ट्री प्रणाली का अभिन्न अंग है, और सिस्टम को मिलकर और परस्पर सम्मान के साथ काम करना होगा। हम रजिस्ट्री से यह भी उम्मीद करते हैं कि वह कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम

करेगी। साथ ही, वकीलों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे दोषों को प्रभावी ढंग से दूर करें और सिस्टम पर अनावश्यक रूप से लांछन न लगाएं।

21. इस प्रकार, हमें याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि याचिकाकर्ता अधिक सावधान रहेगा और अपने पेशे की गरिमा के अनुरूप जीवन व्यतीत करेगा।

22. हम याचिका को खारिज करते हैं और याचिकाकर्ता पर नेक पेशे के प्रति उसकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के प्रतीक के रूप में 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) का जुर्माना लगाते हैं और उसे इस तरह की याचिका को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी।

अंकित ज्ञान रिट याचिका खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।